भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1304

मंगलवार, 11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए
गोरखपुर जिले में औद्योगिक विकास परियोजनाएं

1304. श्री रवीन्द्र शुक्ला उर्फ रवि किशनः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में चल रही औद्योगिक विकास परियोजनाओं की स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने गोरखपुर में निवेश आकर्षित करने और औद्योगिक केंद्र स्थापित करने के लिए कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) गोरखपुर में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री जितिन प्रसाद)

(क): गोरखपुर के समग्र एवं सुनियोजित औद्योगिक विकास हेतु उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा-3 के तहत गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीआईडीए) का गठन किया गया है। प्राधिकरण का उद्देश्य भूमि अधिग्रहण कर, व्यवस्थित विकास के बाद इस भूमि का आवंटन करना है। गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (जीआईडीए) के विभिन्न सेक्टरों में लगभग 1128 औद्योगिक भूखण्ड तैयार किए गए हैं, जिनमें से 1045 भूखण्ड आवंटित किए जा चुके हैं। आवंटित भूमि का क्षेत्रफल लगभग 1071 एकड़ है। गारमेंट पार्क, प्लास्टिक पार्क, फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्पलेक्स आदि प्राधिकरण द्वारा संचालित प्रमुख परियोजनाएं हैं। कई इकाइयों पिछले वर्ष भूमि आवंटित की गई है।

भारत सरकार की सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) स्कीम के अंतर्गत वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान एक परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया गया है। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स (एफएफसी) है, जिसकी कुल परियोजना लागत 3392.11 लाख रुपए है और इसमें भारत सरकार की अनुदान राशि 1200 लाख रुपए है।

(ख) और (ग): उद्योग राज्य का विषय है। तथापि, केंद्र सरकार उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न भागों में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए समय-समय पर कई पहलों और नीतियों को तैयार करती है।

विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की चल रही स्कीमों के अलावा, भारत में घरेलू और विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने विभिन्न कदम उठाए हैं, जैसे कि, मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, पीएम गतिशक्ति, राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय औद्योगिक कॉरिडोर कार्यक्रम, उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन स्कीम (पीएलआई), ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (ईओडीबी) को बढ़ावा देना और अनुपालन बोझ कम करना, राष्ट्रीय सिंगल विंडो सिस्टम (एनएसडब्ल्यूएस), भारतीय औद्योगिक भूमि बैंक (आईआईएलबी), प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में सुधार, परियोजना मॉनीटरिंग समूह (पीएमजी) आदि, जो पूरे देश में प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं की स्थापना में सहायता प्रदान करते हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना के लिए निवेश आकर्षित करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2022 का प्रचार-प्रसार किया है। उक्त नीति के अंतर्गत, उद्यमियों को स्टाम्प ड्यूटी में छूट, पूंजीगत सब्सिडी, कंपनी द्वारा अपने कर्मचारियों को दिए जाने वाले ईपीएफ अंशदान का सरकार द्वारा रिफंड, इत्यादि जैसी अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त होती हैं। उक्त नीति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला उद्यमियों के लिए विशेष रियायत/प्रोत्साहन की व्यवस्था है। नीति में कौशल विकास पर भी विशेष जोर दिया गया है।

सरकार ने नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ ईकोसिस्टम का निर्माण करने और देश के स्टार्टअप ईकोसिस्टम में निवेश को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत की है। दिनांक 19 फरवरी, 2019 के सा.का.नि. अधिसूचना संख्या 127 (अ) के तहत निर्धारित पात्रता शर्तों के अनुसार, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कंपनियों को 'स्टार्टअप्स' के रूप में मान्यता प्रदान की जाती है।

31 दिसंबर, 2024 की स्थिति के अनुसार, डीपीआईआईटी द्वारा 1,57,706 कंपनियों को स्टार्टअप्स के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। डीपीआईआईटी द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य की कुल 15,019 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, जिनमें से 31 दिसंबर, 2024 तक, डीपीआईआईटी द्वारा गोरखपुर से कुल 267 कंपनियों को स्टार्टअप के रूप में मान्यता प्रदान की गई है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, सरकार सभी क्षेत्रों के स्टार्टअप ईकोसिस्टम के विकास और वृद्धि के लिए निरंतर विभिन्न प्रयास करती रहती है। प्रमुख स्कीमें, नामतः स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस), स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) और स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएस), स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में सहायता प्रदान करती हैं। सरकार, आवधिक कार्यों और कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करती है, जिसमें राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग, राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार और नवप्रयोग सप्ताह शामिल हैं, जो स्टार्टअप ईकोसिस्टम के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरकार, स्टार्टअप महाकुंभ

के रूप में ईकोसिस्टम वाली पहलों को भी प्रोत्साहित और सहायता प्रदान करती है, जो हितधारकों को नेटवर्क बनाने और सहयोग प्रदान करने के ऊर्जावान मंच के रूप में कार्य करता है। बाजार पहुंच में सुधार लाने और सार्वजनिक खरीद हेतु सक्षम बनाने संबंधी पहलें भी की गई हैं जो स्टार्टअप्स को उनके व्यवसाय में वृद्धि और स्केलिंग-अप करने में सहायता प्रदान करती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म, जैसे स्टार्टअप इंडिया पोर्टल और भास्कर, संसाधनों तक पहुंच को आसान और स्टार्टअप ईकोसिस्टम सहयोग को सक्षम बनाते हैं। इन उपायों को विनियामक सुधारों और ईकोसिस्टम विकास के अन्य आयोजनों और कार्यक्रमों से सहयोग मिलता है।

*****